# अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

## विविध (सी0आर0आर0) वाद संख्या–01/2021

## श्री भुनेश्वर राम वगै0 बनाम राज्य

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 20/7/2021 | प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विविध वाद संख्या–01/2019–20 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।<br>प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा रामगढ़, थाना सं0–रामगढ़, अंचल रामगढ़ के खाता सं0–172, प्लॉट सं0–2765, रकवा–02 डी0 एवं प्लॉट सं0–2766, रकवा–08 डी, कुल रकवा–10 डी0 सर्वे खतियान में गेअनीया चमार वल्द लालु चमार कौम चमार साकिन देह दर्ज है, एवं उक्त खतियान पर मकान/सहन बेलगान दर्ज है। अपीलार्थीगण मौजा रामगढ़ के खाता सं0–172 के खतियानी रैयत गेअनीया चमार के वंशज हैं, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अपीलार्थीगण का उक्त खाता, प्लॉट के कुल रकवा–10 डी0 भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी है। प्रश्नगत् खाता सं0–172 की भूमि बेलगान होने एवं लगान निर्धारण नहीं होने के कारण जमाबंदी कायम नहीं होने से मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो रही है, जिससे अपीलार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त प्रश्नगत् खाता, प्लॉट के 10 डी0 भूमि के लगान निर्धारण हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दायर किये, जिस पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिस पर अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा हल्का निरीक्षक व हल्का कर्मचारी से जांच पड़ताल कर यह पाते हुए कि प्रश्नगत् भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम से खतियानी रैयती भूमि है, जिस पर अपीलार्थीगण का शांतिपूर्वक दखल–कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलार्थीगण खतियानी रैयत के वंशज हैं, उक्त 10 डी0 भूमि का लगान प्रति डिसमिल 1.00 रूपया की दर से कुल 10 रू0 लगान निर्धारण करने की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन तीन प्रतियों में समर्पित किया, साथ ही तीन प्रति में ट्रेस नक्शा एवं चार प्रति में लगान निर्धारण प्रपत्र संलग्न कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के यहाँ लगान निर्धारण के अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ ने उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर लगान निर्धारण वाद सं0–01/2019–20 श्री भुनेश्वर राम वगै0 बनाम राज्य अभिलेख संधारित करते हुए पक्षकारों को नोटिस दिया गया एवं बिना अपीलार्थीगण को सुने एवं तथ्यों का अवलोकन किये बिना, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह पाते हुए कि खतियान सत्यापित नहीं है, वंशावली सक्षम पदाधिकारी के यहाँ से निर्गत नहीं है, अंचल अधिकारी का स्थानीय जांच प्रतिवेदन संलग्न नहीं है, उक्त खाते की भूमि का पूर्व में भी किसी के नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है, किसी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहित है या नहीं संबंधित | |

प्रतिवेदन नहीं है, अंचल अधिकारी, रामगढ़ का स्वयं का स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन संलग्न नहीं है एवं देर से आवेदन देने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है इन आधारों पर अपीलार्थीगण के लगान निर्धारण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने अपने जांच प्रतिवेदन में लगान निर्धारण संबंधित सभी तथ्यों की जांच पड़ताल कर अपना प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ निम्न न्यायालय के पास प्रेषित किया, लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा उन सभी तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही लगान निर्धारण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात को स्वीकार किया है कि मौजा–रामगढ़, थाना सं0–82 के खाता सं0–172, प्लॉट सं0–2765, 2766, रकवा क्रमशः 02 डी0 एवं 08 डी0, कुल रकवा–10 डी0 भूमि सर्वे खतियान में गेअनीआ चमार वल्द लालू चमार कौम चमार साकिन देह एवं मकान/सहन बेलगान दर्ज है। लेकिन उन तथ्यों के आधार पर जिनका पूर्ण विवरण अंचल अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में अंकित किया है, को अनदेखी करते हुए, लगान निर्धारण के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। लगान निर्धारण के आवेदन जिस पर अंचल अधिकारी द्वारा अनुशंसा की जाती है उक्त आवेदन पर अंचल अधिकारी को मुख्यतः इस बात का संज्ञान लेना है कि अंचल अधिकारी, द्वारा प्रति डी0 लगान निर्धारण की राशि अंकित कर अनुशंसा की गई है या नहीं, जिस जमीन का लगान निर्धारण किया जाना है। उक्त जमीन पर आवेदनकर्त्ता का दखल–कब्जा है या नहीं, लगान निर्धारण की जाने वाली भूमि का ट्रेस नक्शा तीन प्रति में है या नहीं, खेसरा का सत्यापन प्रतिवेदन है या नहीं, लगान निर्धारण प्रपत्र चार प्रति में है या नहीं, यदि यह सभी तथ्य अंचल अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में अंकित किये हैं तो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को लगान निर्धारण के अनुशंसा के आलोक में लगान निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। वर्तमान वाद में भी अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने भी उन सभी तथ्यों को अंकित कर अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है, लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अंचल अधिकारी, रामगढ़ के जांच प्रतिवेदन की अनदेखी कर लगान निर्धारण के आवेदन को खारिज किया गया है। इस आधार पर निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री भुनेश्वर राम, पिता–स्व0 महादेव राम ग्राम–वो पो0–रामगढ़ मौजा–रामगढ़ थाना सं0–82 के खाता सं0–172, प्लॉट सं0–2765, 2766, रकवा–0.02 ए0 एवं 0.08 ए0 कुल रकवा–0.10 एकड़ का श्री भुनेश्वर राम, पिता–स्व0 महादेव राम वो सचिन राम, पिता–स्व0 महादेव राम वो फुलवन्ती देवी, पिता–स्व0 राम अवतार राम वो महेश राम, पिता–स्व0 मिठु राम वो दुर्गा राम पिता–स्व0 मिठु राम वो मोहन राम, पिता–स्व0 मिठु राम वो मीना देवी पति–स्व0 रोबिन्द राम वो प्रेम राम पिता–स्व0 बालो राम वो राजेन्द्र राम पिता–स्व0 बालो राम वो विशेश्वर राम पिता–स्व0 बालो राम वो गीता देवी, पति–स्व0 शिवप्रसाद राम वो फकीरा राम पिता–स्व0 मिन्टु राम वो शनि कुमार दास,

पिता–स्व0 मिन्टु राम, निवासी ग्राम वो पो0–रामगढ़ के नाम से लगान निर्धारण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ खतियान की छायाप्रति संलग्न है। राजस्व उपनिरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा रामगढ़, थाना सं0–82 के खाता सं0–172, प्लॉट सं0–2765, 2766, रकवा–0.02 ए0 एवं 0.08 ए0 कुल रकवा–0.10 एकड़ सर्वे खतियान में गेआनीया चमार वल्द लालु चमार कौम चमार साकिन दहे किस्म मकान/सहन बेलगान दर्ज है। आवेदकगण के द्वारा संलग्न शपथ पत्र सं0–3624, दिनांक–06.07.2019 तथा स्थानीय जांच के द्वारा आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज हैं, जो निम्नवत् है–श्री भुनेश्वर राम, पिता–स्व0 महादेव राम वो सचिन राम, पिता–स्व0 महादेव राम वो फुलवन्ती देवी, पिता–स्व0 राम अवतार राम वो महेश राम, पिता–स्व0 मिठु राम वो दुर्गा राम पिता–स्व0 मिठु राम वो मोहन राम, पिता–स्व0 मिठु राम वो मीना देवी पति–स्व0 रोबिन्द राम वो प्रेम राम पिता–स्व0 बालो राम वो राजेन्द्र राम पिता–स्व0 बालो राम वो विशेश्वर राम पिता–स्व0 बालो राम वो गीता देवी, पति–स्व0 शिवप्रसाद राम वो फकीरा राम पिता–स्व0 मिन्टु राम वो शनि कुमार दास, पिता–स्व0 मिन्टु राम। राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित भूमि का उल्लेखित व्यक्ति के नाम से लगान निर्धारण करने हेतु अनुशंसा किया गया है। आवेदित भूमि का अंचल अमीन के द्वारा तीन प्रति में ट्रेस नक्शा दिया गया है। अंचल निरीक्षक का अनुशंसा प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त है। अंचल अमीन के द्वारा तीन प्रति में ट्रेस नक्शा प्राप्त है। आम इस्तेहार में किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है। अतः अंचल अमीन/संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/ अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा रामगढ़ थाना सं0–82 के खाता सं0–172, प्लॉट सं0–2765, 2766, रकवा–0.02 ए0 एवं 0.08 ए0 कुल रकवा–0.10 एकड़ का लगान 10.00 रू0 अलावे सेस बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–5, 6, 7 के तहत् श्री भुनेश्वर राम, पिता–स्व0 महादेव राम वो सचिन राम, पिता–स्व0 महादेव राम वो फुलवन्ती देवी, पिता–स्व0 राम अवतार राम वो महेश राम, पिता–स्व0 मिठु राम वो दुर्गा राम, पिता–स्व0 मिठु राम वो मोहन राम, पिता–स्व0 मिठु राम वो मीना देवी पति–स्व0 रोबिन्द राम वो प्रेम राम पिता–स्व0 बालो राम वो राजेन्द्र राम पिता–स्व0 बालो राम वो विशेश्वर राम पिता–स्व0 बालो राम वो गीता देवी, पति–स्व0 शिवप्रसाद राम वो फकीरा राम पिता–स्व0 मिन्टु राम वो शनि कुमार दास, पिता–स्व0 मिन्टु राम ग्राम–रामगढ़ पो0–रामगढ़ के नाम से लगान निर्धारण का अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ के अनुशंसा के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अधिकारी, रामगढ़ से लगान निर्धारण अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–रामगढ़, थाना सं0–रामगढ़, अंचल–रामगढ़ के खाता सं0–172, प्लॉट सं0–2765, रकवा–02 डी0 एवं प्लॉट सं0–2766, रकवा–08 डी, कुल रकवा–10 डी0 सर्वे खतियान में गेअनीया चमार वल्द लालु चमार कौम चमार साकिन देह किया एवं मकान/सहन दर्ज है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियान सत्यापित नहीं है। वंशावली सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है। अंचल अधिकारी का स्थानीय जांच प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। उक्त खाते की भूमि का पूर्व में किसी के नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। किसी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहित है या नहीं से संबधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। लगान निर्धारण की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रस्ताव में अंचल अधिकारी, रामगढ़ का स्वयं स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। जमीन्दारी उम्मूलन के 65/70 वर्षों तक उक्त भूमि का लगान निर्धारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया वो अति देर से आवेदन देने का कोई कारण भी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे आवेदक द्वारा दाखिल कागजात संदेह उत्पन्न करता है।

उक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा लगान निर्धारण हेतु दायर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत पक्ष/लिखित अभिकथन, अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जाँच किये बिना एवं वांछित प्रतिवेदन संबंधित अंचल अधिकारी से प्राप्त किये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो विधि–सम्मत् प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि संबंधित अंचल अधिकारी से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त कर लगान निर्धारण किये जाने निमित विधि–सम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.08.22 20:07:11 +05:30
Location: 192.168.43.75